# न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
# मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्याः 89/2020(जी.सी.एम.एस. 2020/00180)**

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. गुरतार सिंह पुत्र मलिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. हरप्रीत कौर पुत्री जसवन्त सिंह पत्नी मनवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 सीसी तहसील पदमपुर। | | 1. मलिन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. अवतार सिंह पुत्र निरवैल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>3. मेहर सिंह पुत्र दया सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।<br>4. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। |

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91,188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**तारीख रजू 04.11.2020**

**उपस्थितः 1. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता वादीगण**

**—निर्णय—** **दिनांकः04.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/14 के मुरब्बा नम्बर 11, 21, 40, 41, 42, 59/19 की कुल 12.318 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह के नाम 2.505 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण आपस में भाई-बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह वादीगण का पिता है। उक्त 2.505 हैक्टेयर नहरी भूमि जो वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति की आय से क्रय करके प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगवाई गई है, जो वादीगण व प्रतिवादीगण के परिवार की पैतृक सम्पति है और हमारे हिन्दू खानदान की कोपार्सनरी भूमि है, जिसमें वादीगण का हक व हिस्सा शुरू से है। वादीगण का पिता प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह है, जो नशेडी किस्म का व्यक्ति है, जो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए हमारी उक्त भूमि को बेचान करने व खुर्द-बुर्द करने पर अमादा है और हमें हमारे हिस्सा की भूमि से महरूम करना चाहता है तथा हमें हमारे हिस्से की भूमि नहीं देना चाहता है तथा हमें उक्त भूमि से बेदखल करना चाहता है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादीगण अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि से महरूम हो जाऐगें। जिससे वादीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/14 के मुरब्बा नम्बर 11, 21, 40, 41, 42, 59/19 की कुल 12.318 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह के नाम 2.505 हैक्टेयर में से प्रत्येक वादीगण को 1/3 - 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे। एवं उनके नाम उक्त रकबा राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। वादीगण गुरतार सिंह, हरप्रीत कौर व प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र एवं समझौतानामा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

गुरतार सिंह आदि बनाम मलिन्द्र सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,188, 92ए आरटीए,
प्रकरण संख्या 89/2020

**-:आदेश:-**

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/14 के मुरब्बा नम्बर 11, 21, 40, 41, 42, 59/19 की कुल 12.318 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह के नाम 2.505 हैक्टेयर में से वादीगण को 1.265 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

**अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर**
**ब इजलास श्री श्योराम** (आर.ए.एस.)

गुरतार सिंह आदि बनाम मलिन्द्र सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188, 92ए आरटीए
मुकदमा नम्बर **89/2020**
**निर्णय दिनांक :- 04.06.2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 13/14 के मुरब्बा नम्बर 11, 21, 40, 41, 42, 59/19 की कुल 12.318 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मलिन्द्र सिंह के नाम 2.505 हैक्टेयर में से वादीगण को 1.265 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 04.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 00 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| **योग** | **04** | **00** | **योग** | **00** | **00** |

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 04.06.2025

क्रमांकः रीडर/2025/342
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर